

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम  
एवं जिला कलक्टर उदयपुर  
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 178/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

कुन्दनमल मेघवाल पुत्र हीरालाल मेघवाल निवासी: मु.पो. खरसाण, वाया-खेरोदा,  
तहसील-वल्लभनगर, उदयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीण्डर, उदयपुर

.....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 13-01-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 02.11.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/178/24 /1455-56 दिनांक 16.12.2024 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रत्यर्थी द्वारा अपने पत्र क्रमांक: आरटीआई/2024/455 दिनांक 26.12.2024 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 11.11.2024 को जरिये डाक आवेदन भिजवा कर सूचना चाही गई थी। प्रार्थी का आवेदन प्राप्त होने पर प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2024/441 दिनांक 11.12.2024 को जरिये डाक प्रार्थी को भिजवा दी गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रत्यर्थी द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक 441 दिनांक 26.12.2024 से उपलब्ध करवा दी गई। ऐसी स्थिति में अपील में कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीण्डर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।



M  
(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
प्रथम अपील अधिकारी,  
सूचना का अधिकार अधि.  
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर